भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5537

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीजी योग्यता की मान्यता में असमानता

5537. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन (सीपीएस) मुंबई की स्नातकोत्तर योग्यता की मान्यता में असमानता के क्या कारण हैं जबकि कुछ राज्य प्रैक्टिस की अनुमति देते हैं और अन्य नहीं देते हैं;

(ख) सरकार द्वारा एकरूपता लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि इन योग्यताओं को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मान्यता प्राप्त हो;

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि सीपीएस एक सदियों पुरानी स्वतंत्रता-पूर्व संस्था है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मान्यता न देने और उन्हें मुख्यधारा में न लाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी मान्यता सुनिश्चित करने तथा उन्हें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 35 में भारत में विश्वविद्यालयों या चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, भारत में कोई भी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान जो स्नातक या स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा अर्हता प्रदान करता है, जो ऐसी एनएमसी द्वारा बनाई गई सूची में शामिल नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता देने वाला पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले एनएमसी में आवेदन कर सकता है। कुछ राज्यों ने सीपीएस की अर्हताओं को अपने राज्य के कानून के सांविधिक उपबंधों के आधार पर मान्यता दी है।

******